इद्दत का मकसद और उसके मसाइल

मुरत्तीब: मुफ्ती अब्दुररहीम अब्दुररउफ नाडा
(सुरती) दा.ब.

बिस्मिल्लाहीर रहमान्नीर रहीम

इद्दत का मकसद, उसकी हिकमतें और फायदे

इद्दत ये अरबी लफ़्ज़ हे जिस्का तर्जुमा गिनना शुमार करना हे कयूंके जो औरत इद्दत गुज़ारती हे वो दिन गिन्ती हे इसलिये उस्को इद्दत कहते हे.

शरीअते मुतहहरा ने नसल पर बडी सख्त नज़र रखी हे के कही ये खलत मलत न हो जाये औरत की पाकदामनी पर धब्बा न लग जाये और परेशान न हो.

शरीयत के मिजाज़ को सामने रखते हूवे मसाइल के जानने वाले उलमा ने किताबो सुन्नत से ये उसूल बयान किया हे के हद दरजा एहतीयात का पेहलु इखतियार किया जाये.

इसलिये शरीयत ने जहां निकाह के ज़रीये जोडा वही शौहर की वफात या तलाक वगैरा से इस पाकीज़ा बंधन के खत्म पर भी कुछ कानून रखे जिसमे से एक इद्दत हे.

इद्दत मे औरत घर वालो के साथ खाना खा सकती हे इस्तेन्जा जा सकती हे वगैरा मगर सोग जिस के माना जेबों जीनत बनाव सिंगार को छोड देना जरूरी हे.

इद्दत की दुन्यवी और उखरवी बहोत सारी हिकमतें मसलीहतें हे जिन मेसे चंद यहां ज़िकर की जाती हे.

१. इद्दत से अल्लाह की रज़ामंदी हासिल होती हे कयुं के इद्दत का हुकम अल्लाह ने दिया हे और अल्लाह के हुकम को पुरा करना इबादत हे और इबादत से अल्लाह की रज़ामंदी हासिल होती हे और अल्लाह की रज़ामंदी बहोत बडी दौलत हे लिहाज़ा जो औरत अल्लाह के हुकम के मुताबिक इद्दत गुज़ारेगी तो इन्शाअल्लाह उस्को अल्लाह की रज़ा व खुसनुदी हासिल होगी.

२. इद्दत को वाजिब करार देने की अहम मसलिहत इस बात का यकीन हासिल करना हे के पहले शौहर का कोई असर औरत की बच्चादानी मे नही रहा

ताके बच्चे के नसब मे कोई शक्को शुब्हा बाकी न रहे.

३. निकाह चुके अल्लाह की तरफ से अता करदह बहोत बडी नेमत हे उस नेमत के खत्म होने पर इद्दत वाजिब करार दी गयी.

४. शौहर के इन्तेकाल की वजह से घर और खानदान मे जो कमी पैदा हुवी हे उसकी यादें कुछ मुद्दत बाकी रखने के लीये औरत पर इद्दत वाजिब करार दी गयी.

५. शौहर के इन्तेकाल या तलाक की सूरत मे एक बडा हादसा और रंजो गम औरत के साथ पैश आया हे उस्को दूर करने के लिये कुछ वकत तन्हाई मे गुज़ार ने की ज़रूरत होती हे इसलीये शरीयत ने इद्दत वाजिब करार दी नीज़ आगे की ज़िन्दगी के बारे मे सोचने का मौका भी इद्दत के दरमियान मिल जाता हे.

इद्दत ए तलाक

तलाक वाली औरत की इद्दत तीन हैज़ हे और जिस औरत को हैज़ न आता हो उस्की इद्दत तीन महीने

हे इस्को इद्दते तलाक कहते हे.

१. मीयां बीवी दौनों एक दूसरे के हुकूक बराबर अदा करे एक दूसरे के साथ नाइन्साफी वाला मामला न करे अगर कभी कोई तकलीफ या रंजिस वाली बात हो जाये तो एक दूसरे को माफ कर दें और दौनो इस पाकीज़ा रिश्ते को बाकी रखने के लिये प्यार और मुहब्बत से रहे.

२. अगर कभी एक दूसरे से तकलीफ पहुंचे तो उस मामले को लंबा न करे बल्के उसी वकत सब्र से काम लेते हूवे माफी तलाफी करके अपने दिलों को साफ कर ले शौहर अपनी मर्दाना अकल से काम लेते हूवे बीवी के टेडापन को दूर करने की लिये मुनासिब अंदाज़ इखतियार करके सुधार ने की कोशिश करे.

३. अगर खुदा न खासता मामला दौनो के काबू से बाहर हो जाये तो दोनो के खानदान के समजदार वडील दोनो मे जोड करवाने की कोशिश करे एक बीवी के खानदान से हो और एक शौहर के खानदान

से हो दोनो की शिकायतें सुनकर उस्को दूर करे और दोनो मे जो गलत फेहमियां हे उस्को भी दूर करे जिस्की गल्ती हो उस्को मुनासिब अंदाज़ से समजायें इस मामले मे किसी की हिमायत न करे और न मुखालफत करे बल्के दोनो की इस्लाह की कोशिश करे अगर इन चंद बातों पर इख्लास के साथ अमल किया जाये तो तलाक की नौबत नही आयेगी अगर सारी तदाबीर इखतियार करने के बावूजूद दोनो मे इत्तेफाक नाहो सका तो आखरी तदबीर तलाक हे.

जिस वकत तलाक दी जाये या शौहर का इन्तेकाल हो जाये उसी वकत से इद्दत शुरू हो जाती हे चाहे तलाक या वफात की खबर देर से मिले मसलन एक आदमीने अपनी बीवी को तलाक दी और तलाक की खबर औरत को तीन महीने के बाद हुयी तो भी इद्दत उसी दिन से शुमार होगी जिस दिन उस्के शौहर ने उस्को तलाक दी थी.

अब अगर तलाक देने के बाद तीन हैज़ गुज़र चुके

तो उस औरत की इद्दत पुरी हो गयी अब नये सिरे से इद्दत गुज़ारने की कोई ज़रूरत नही हे.

अगर हैज़ की हालत मे तलाक दी गयी तो वो हैज़ इद्दत मे शुमार नही होगा बल्के उस हैज़ के गुजरने के बाद अब नये सिरे से दूसरे तीन हैज़ तक इद्दत गुजारनी होगी.

इद्दत ए वफात

शौहर की वफात की इद्दत 4 महिने 10 दिन हे मिसाल के तौर पर अगर शौहर का इन्तेकाल चांद की पहली तारीख को हो तो चार कमरी महीने और उस्से दस दिन उपर गुजारे चाहे महीना 29 का हो या 30 का अगर पहली तारीख के अलावा और तारीख को इन्तेकाल हूवा तो 130 दिन पूरे करे.

जिस वकत शौहर का इन्तेकाल हो जाये उसी वकत से इद्दत शुरू हो जाती हे चाहे वफात की खबर देर से मिले मसलन शौहर का इन्तेकाल हो गया और खबर औरत को तीन महीने के बाद हुवी तो भी इद्दत उसी दिन से शुमार होगी जिस दिन

शौहर का इन्तेकाल हुवा था.

औरत को किसी मरने वाले पर तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाना हराम हे सिवाय शौहर के, शौहर की मौत पर चार महीने दस दिन ज़ेबो जीनत छोड के सोग मनाने की इजाज़त हे.

शौहर का इन्तेकाल हो गया तो उस्के लिये शरीयत ने चार महीने दस दिन मुतायन किये हे के इन दिनो मे वो घर से बाहर न निकलने के साथ साथ जीनत वाले रंगीन कपडे नही पहने खूश्बू और सुरमा पाउडर और क्रीम और ऐसी तमाम चीज़ें जो जीनत के तौर पर इस्तेमाल की जाती हे इन्का इस्तेमाल नही करेगी जैसे ज़ेवरात वगैरा गोया जीनत छोडने का नाम सोग मनाना हे.

सोग मनाने मे पहली बात तो ये हे के ये हुकम औरतो ही के लिये खास हे यानी औरते ही सोग मनायेगी और जीनत नही करेगी.

दूसरी बात ये हे के शौहर की वफात के मामले मे ही चार महीने दस दिन सोग मनाने का हुकम हे

उस्के अलावा किसी और रिश्तेदार के इन्तेकाल पर तीन दिन तक का हुकम हे उस्से ज़्यादा सोग मनाने की किसी हालमे इजाज़त नही अगर कोई ऐसा करेगी तो उसपर अज़ाब की धमकी दी गयी हे.

अब हमारे यहां कया होता हे सोग मनाना औरतो के साथ साथ मरदो ने भी शुरू कर दिया और फिर सोग तीन दिन नही चलता बलके बहुत लंबा चलता हे हमारे मुआशरा मे कया होता हे मसलन किसी का इन्तेकाल रबीउल अव्वल मे हूवा हे उस्के सात महीने के बाद रमज़ान ईद आयी तो घर वाले कहते हे के इस साल हम नये कपडे नही सिलायेगे और हमारे यहां खाना नही पकेगा ये सब हमारे समाज और मुआशरा मे हो रहा हे हालां के ऐसा सोग मनाना किसी भी हाल मे जाइज़ नही हे सोग मनाने का हुकम हदीस मे मख्सूस लोगों के लिये और मख्सूस दिनों के साथ दिया गया हे.

और औरत को भी सोग मनाना सिर्फ जीनत छोडने मे हे अगर कोई औरत सोग मनाने मे भूखी रहेगी

तो इस्की इजाज़त नही हे शरीयत ने जो तरीका और जैसा तरीका और जिस के लिये बताया हे वही तक रहेगा उस्के आगे जो कुछ भी किया जा रहा हे वो सब शरीयत के तरीके से हट कर हे और नाजाइज़ हे.

ताज़ीयत के लिये भी शरीयत ने तीन दिन का वकत मुकर्रर किया हे और जो लोग जनाज़ा मे गये हे उन्को भी कहा गया हे के दफन के बाद वहां से चले जावो वहां ज़्यादा न ठेहरो और तीन दिन के बाद अगर कोई आदमी सफर से आया तो वो ताज़ीयत कर सकता हे लैकीन जो लोग यही मौजूद थे वो तीन दिन के बाद ताज़ीयत नही कर सकते लैकीन होता ये हे के किसी के यहां रबीउल अव्वल मे इन्तेकाल हूवा उस्के सात महीने के बाद ईद आयी तो लोग उस्के घर ताज़ीयत के लिये जाते हे हमारे समाज और मुआशरा मे ये भी हो रहा हे जो बिलकुल दुरूस्त नही हे शरीयत के अहकाम के खिलाफ हे उस्का खियाल रखा जाये.

इद्दत के मसाइल

1. शौहर के तलाक देने से पहले औरत शौहर के साथ जिस घर मे रह रही हो उसी घर मे इद्दत गुज़ारना जरूरी हे चाहे वो घर शौहर का खूद का हो या खूद का ना हो किराये का हो वगैरा. मर्हूम शौहर ने जो मकान रहने के लिय दिया था उसी मे इद्दत गुज़ारना वाजिब हे ये हुकम बहुत ताकीद के साथ कुरानो हदीस से साबित हे. (सूरे बकरा 234, बुखारी 2/650)

2. नीचे बयान की गयी सूरतों मे औरत दूसरी जगह इद्दत गुज़ार सकती हे.

१. शौहर जुल्म करके इद्दत गुज़ार ने वाली औरत को घर से बाहर कर दे.

२. किराये का घर हो और किराया अदा न कर सकने की वजह से मालिके मकान घर से बाहर कर दे.

३. शौहर का इन्तेकाल हो गया और औरत का हिस्से मिरास न हो के उस्के लिये अलग कमरे का इन्तेजाम हो सके और दूसरे वारसदार उसे साथ रखने पर राज़ी ना हो.

४. मकान गिर जाये या इतना पुराना हो के गिर जाने का डर हो.

५. मकान ऐसा हो के जिसमे औरत के माल के बरबाद हो जाने का डर हो.

६. मकान मे इद्दत गुज़ारने वाली औरत अकेली हो जिस्की वजह से उस्को डर लगता हो.

७. मकान मे ना महरमों से परदे का मुनासिब इन्तेजाम न हो जिस्की वजह से औरत को फितने मे मुबतला होने का डर हो. इन तमाम सूरतों मे औरत दूसरी जगह इद्दत गुज़ार सकती हे. अगर इस्के अलावा कोई और परेशानी हो तो अपने करीबी उलमा से रहबरी हासिल करे.

3. अगर शौहर के मकान पर इद्दत गुज़ारने का इन्तेजाम न हो तो अपने बाप के यहां इद्दत गुजारे.

(फतावा महमुदीय्यह 13/395)

4. अगर तलाक के वकत या शौहर के इन्तेकाल वकत औरत घर से बाहर किसी और जगह हो तो उसे चाहिये के खबर मिलते ही फौरन घर वापस

आजाये बगैर उज़र के घर से बाहर न रहे.

5. इद्दत गुज़ार ने के लिये घर मे किसी खास जगह बेठना ज़रूरी नही हे.

6. इद्दत मे आस्मान की तरफ देखना जाइज़ हे.

7. फोन पर जाइज़ और जरूरी बात करना जाइज़ हे.

8. इद्दत की सारी पाबंदीयां इद्दत के खत्म होते ही खत्म हो जाती हे दूसरा निकाह भी कर सकती हे. (अहकामे मय्यत 6/232)

9. अगर इद्दत के दरमीयान किसी मुल्क की सीटीज़नशीप बाकी रखने के लिये बेवा को बाहर मुल्क जाने की ज़रूरत पड जाये तो ये याद रखना चाहिये के इद्दत का मामला बहुत अहम हे हमारे ज़माने मे इसमे बहुत लापरवाही बडती जा रही हे मामूली-मामूली बातों को बहाना बना कर शरई कायदो की खिलाफ वरज़ी कर डालते हे इद्दत के ज़माना मे सफर नही करना चाहिये यहां तक के हज्ज जैसी अज़ीमुश्शान इबादत के लिये भी सफर

की इजाज़त नही हे इसलिये इस बात की पूरे पूरी कोशिश की जाये के उस्की इद्दत पूरी हो जाये हुकूमत के सामने इद्दत का उज़र पैश करके मोहलत मांगी जाये इद्दत मे इतना लंबा सफर बहुत ना मुनासिब हे. (फतावा रहीमीय्यह 8/430)

10. बीवी से नाराज़ शौहर ने उस्को मइके भेज दिया फिर शौहर का इन्तेकाल हो गया तो वो औरत फौरन शौहर के घर आजाये और वही इद्दत पूरी करे. (इम्दादुल फतावा 2/427)

11. इद्दत मे औरत को बनाव सिंगार करना चुडीयां पहेनना, ज़ैवर पहेनना, खूश्बू लगाना, सुरमा लगाना, पानखा कर मुंह लाल करना, मिस्सी लगाना, सरमे तेल डालना, कंगी करना, महेंदी लगाना, रेश्मी रंगे हूवे फुल की डिज़ाइन वाले अच्छे कपडे पहेन्ना जाइज़ नही, ऐसे मामूली कपडे पहने जिस्मे जीनत न हो और इसी तरह इद्दत की हालत मे सर धोना नहाना वगैरा जाइज़ हे और सर मे दर्द हो तो तेल लगाना भी जाइज़ हे

ज़रूरत के वकत बडे दांतों वाली कंगी करना भी जाइज़ हे इलाज के तौर पर सुरमा लगाना भी जाइज़ हे मगर रात को लगा कर दिन को साफ कर दे. इमाम अबू हनीफा रह के नजदीक इस हुकम मे रात दिन दौनो ही बराबर हे अलबत्ता बीमारी की वजह से दवा सुरमा या तेल या कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती हे. (कामूसुल फिकह 2/42)

12. इद्दत के दरमियान औरत बीमार हो गयी तो दवा इलाज के लिये डोकटर को अपने घर पर ही बुला ले और अगर बीमारी ज़्यादा हो और माहिर डोकटर या हकीम होस्पिटल मे दाखिल होने को कहे और हकीकतन इस्की सख्त ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलने और होस्पिटल मे दाखिल होकर इलाज़ कराने की गुंजाइश हे. (अहम मसाइल 4/131)

13. इद्दत के दरमियान वोट देने के लिये जाना जाइज़ नही हे कयूंके वोट देना उस्की दीनी या तबाई जरूरत मे शामिल नही हे. (फतावा कासमीय्यह 16/611)

14. इद्दत के दरमीयान शादी बीयाह मे शरीक

होने के लिये घर से निकलने की इजाज़त नही.
(फतावा महमूदीय्यह 13/399)

15. औरत के लिये जो शरीयत के एतेबार से जो ना महरम हे उनसे परदा करना लाज़िम हे चाहे इद्दत मे हो या ना हो.

वो गैर महरम रिश्तेदार जिनसे परदा करना फर्ज़ हे.
खाला का लडका, मामू का लडका, चाचा का लडका, फुफी का लडका, शौहर का छोटा भाई, शौहर का बडा भाई, अपनी बहन का शौहर, शौहर की बहन का शौहर, खालू, फुफा, शौहर का चाचा, शौहर का मामू, शौहर का फुफा, शौहर का भतीजा, शौहर का भांजा.

वो महरम रिश्तेदार जिन से परदा करना जरूरी नही हे.
शौहर, औरत का बाप, औरत का चाचा, औरत का मामू, औरत का ससुर, औरत का बेटा, औरत का पोता, औरत का नवासा, शौहर का दुसरी औरत का लडका, औरत का दामाद, औरत का भाई, औरत का भतीजा औरत का भांजा. (फतावा महमूदीय्यह 13/406)

इद्दत ए तलाक के मसाइल

1 से 15 तक के मसाइल के लिए देखिए इद्दत के मसाइल.

16. हज के सफर के दरमीयान मीयां बीवी मे अनबन हो गयी और मामला तलाक तक पहुंच गया अगर शौहर ने एक तलाके रजायी दी हे तो तो बीवी साथ मे सफर करके हज का फरीज़ा अदा करे और अगर शौहर जाना मुलतवी कर दे तो बीवी भी वापस अपने घर लौट आये. अगर शौहर ने एक से ज़्यादा तलाक दी हे या शौहर का इन्तेकाल हो गया तो औरत के लिये बेहतर ये हे के अपने घर वापस लौट आये हां अगर कोई महरम साथ हो तो सफरे हज को उस्के साथ पुरा कर सकती हे.

17. अगर किसी औरत को उस्के शौहर ने तलाक दी या किसी और तरह से निकाह टुट गया हो और तलाक की इद्दत खत्म हो जाने के बाद उसी शौहर का इन्तेकाल हो जाये तो उस औरत पर मौत की

इद्दत वाजिब नही हे और न उसके वारसे मेसे उसे कुछ मिलेगा हां अगर इद्दत के दरमीयान ही इन्तेकाल हो गया तो चंद बातो का खियाल रखना पडेगा.

[१] अगर शौहर ने तलाके रजइ दी थी चाहे अपनी बीमारी मे दी हो या तंदरूस्ती मे तो अब औरत तलाक की इद्दत छोड कर इन्तेकाल के वकत से नये सिरे से वफात की इद्दत गुज़ारेगी और शौहर की वारसदार भी होगी. (अहकामे मय्यत 6/227)

[२] अगर शौहर ने तलाके बाइन दी और तलाक के वकत शौहर तंदरूस्त था चाहे तलाक औरत की मरज़ी से हो या मरज़ी के बगेर तलाक की इद्दत से पहले शौहर का इन्तेकाल हो गया तो अब औरत सिर्फ अपनी तलाक वाली इद्दत ही पूरी करेगी वफात वाली इद्दत नही गुज़ारेगी और शौहर की वारसदार भी न होगी.

[३] अगर तलाक बाइन के वकत शौहर बीमार था और तलाक औरत की मरज़ी से दी थी तो इस सूरत मे भी वही हुकम हे जो नंबर दो पर गुज़रा. अगर

तलाके बाइन शौहर ने अपनी बीमारी मे औरत की मरज़ी के बगैर दी थी तो उसमे देखा जायेगा के इद्दत पूरी होने मे ज़्यादा दिन लगते हे या मौत की इद्दत पूरी होने मे जिसमे ज़्यादा दिन लगते हो औरत वो इद्दत पुरी करेगी और शौहर की वारसदार भी होगी. (अहकामे मय्यत 6/227)

18. तलाके रजइ की सूरतों मे मर्द और औरत बेपरदा साथ रह सकते हे. (फतावा रहीमीय्यह 8/433)

19. तलाके बाइन और तलाके मुगल्लज़ा की सूरत मे औरत और मर्द के दरमीयान परदा लाज़िम हे अगर गुनाह मे मुब्तला होने का डर हो तो उन पर पेहरा रखना भी जरूरी हे मकान कुशादा न हो और इन्तेजाम भी न हो तो तलाक वाली औरत को दूसरे घर मे रखे या शौहर दूसरी जगह रहे. (फतावा रहीमीय्यह 8/433)

20. अगर तलाके रजइ दी गयी हे और रूजू कर लेने की उम्मीद हे तो शौहर से परदे का हुकम नही हे बल्के शौहर के सामने बनाव सिंगार करे ताके

शौहर उस्की तरफ माइल हो और रूजू कर ले और अगर तलाके बाइन या तलाके मुगल्लज़ा दी गयी हे तो ऐसी सूरत मे शौहर से परदा करना ज़रूरी हे अगर औरत शौहर के घर मे इद्दत गुज़ारती हे और बेएहतीयाती का डर हो तो उन दौनो के साथ कोई ऐसी औरत का होना ज़रूरी हे जो दौनो के दरमीयान मेल मिलाप रोकने पर कादिर हो.
(दुररेमुख्तार मए शामी ज़करीय्यह 5/226, 227)

21. अगर औरत तलाक की इद्दत गुज़ार रही थी के शौहर का इन्तेकाल हो गया तो उस्की तीन सूरतें हे और तीनो का हुकम अलग अलग हे.
[१] अगर वो हमल से हे तो शौहर के इन्तेकाल के बाद जैसे ही बच्चे की पैदाइश होगी तो उसी वकत इद्दत पूरी हो जायेगी.
[२] दूसरी सूरत ये हे के औरत हामिला न हो और शौहर ने उस्को तलाके रजइ दी हो और इद्दत के खत्म होने से पहले शौहर का इन्तेकाल हो गया इस सूरत मे तलाक की इद्दत बेकार समझी जायेगी औरत अब नये सिरे से वफात की इद्दत यानी चार

महीने दस दिन इद्दत गुज़ारेगी.

[३] तीसरी सूरत ये हे के औरत हामिला न हो और शौहर ने तलाके बाइन दी हो और इद्दत के खत्म होने से पहले शौहर का इन्तेकाल हो जाये तो अब देखा जायेगा के तलाक की इद्दत ज़्यादा लंबी हे या मौत की इद्दत ज़्यादा लंबी हे इन दौनो मेसे जो ज़्यादा लंबी हो वो इद्दत उस्के ज़िम्मे लाज़िम होगी या इस तरह समझ ले के औरत इस सूरत मे तलाक और वफात दौनो की इद्दत एक वकत मे गुज़ारेगी इन मेसे अगर एक पूरी हो जाये और दूसरी के कुछ दिन बाकी हो तो उन बाकी रह जाने वाले दिनों की भी इद्दत पूरी करेगी. (आपके मसाइल और उनका हल 6/702)

22. तलाक वाली औरत के लिये शरीयत का हुकम तो ये हे के वो इद्दत के दिन शौहर के घर मे गुजारे खाने पीने का खर्चा शौहर के ज़िम्मे वाजिब होगा इद्दत के खत्म होने के बाद औरत का उस घर मे रहना शरइ एतेबार से जाइज़ नही हे अगर उस्के बेटे मौजूद हे और वो अपनी मां की खिदमत करना भी चाहते हे तो भी औरत का उस घर मे रहना

जाइज़ नही हे जैसा के किसी अजनबी मर्द के घर पर रहना जाइज़ नही हे इसी तरह इस मसले मे भी इद्दत पूरी हो जाने के बाद वो शौहर उस्के लिये अजनबी हो जाता हे लिहाज़ा उस्के घर मे रहना जाइज़ नही हे उस शरीफ खातून को चाहिये के शरीयत के हुकम का एहतेराम करते हूवे उस अजनबी के घर को छोड दे और अगर औरत शरीयत के किसी हुकम पर भी अमल करने के लिये तय्यार न हो तो तलाक देने वाले शौहर को इखतियार हे के जुदाई इखतियार कर ले. (आपके मसाइल और उन का हल 6/706)

23. मज़ाक मे भी तलाक देने से तलाक हो जाती हे अगरचे उस वकत मीयां बीवी के अलावा दूसरा मौजूद न हो तलाक होने के लिये शौहर का तलाक के अल्फाज़ बोलना काफी हे बीवी या गवाहों का सुनना जरूरी नही हे बीवी ने सुना हो तो हर हाल मे तलाक हो जाती हे. (फतावा महमूदीया 5/358)

24. इसी तरह हमल के गिरा देने से भी इद्दत खत्म हो जायेगी जब के हमल चार महीने या उस से

ज़्यादा महीनों का हो अलबत्ता ये बात याद रखे के बगैर शरई उज़र के हमल को गिरा देना बहुत बडा गुनाह हे. या चार महीने से कम मुद्दत का हमल था और खून आ गया तो ऐसी औरत की तलाक की इद्दत तीन मासिक आने के बाद खत्म होगी ढाइ तीन महीने के बाद जो खून आया वो पेहला मासिक हे कभी कभी हैज़ कइं महीनो के बाद भी आता हे. (फतावा रहीमीय्यह 8/410)

25. अगर तलाक देने वाला शौहर नामर्द हो और उस ने बीवी के साथ खलवत की हो यानी किसी ऐसी जगह तन्हाइ हो जाये जिसमे हमबिस्तरी करने के लिये रूकावट न हो तो ऐसी तन्हाइ से औरत पर इद्दत लाज़िम हो जाती हे चाहे हकीकतन हमबिस्तरी न की हो इद्दत के लाज़िम होने मे नामर्द की तन्हाइ का भी एतेबार किया गया हे. (फतावा रहीमीय्यह 8/420)

26. जिस तरह ज़ुबानी तलाक देने से तलाक हो जाती हे ठीक उसी तरह अगर शौहर ने लिख कर

तलाक दी तो तलाक हो जाती हे.

27. शौहर पर इद्दत के दरमीयान का खर्च और रेहने के लिये मकान देना वाजिब हे इद्दत के बाद न खर्च ज़रूरी हे न रहने के लिये घर देना लैकीन फिर भी शौहर खर्च और रहने के लिये मकान देतो उस्का एहसान हे चूंके तीन तलाक के बाद मिलना जुलना हराम हे. (अहसनुल फतावा 2/260)

28. तलाक वाली बीवी की इद्दत के दरमीयान उस्की सगी बहन से निकाह करना दुरूस्त नही हे. (अहसनुल फतावा 5/89)

29. वो औरत जिस्के पेट मे बच्चा हो और वो इद्दत मे हो और इद्दत खत्म करने के लिये अपने चार महीना या उस्से ज़ियादह दिन वाला हमल गिराना चाहे तो जाइज़ नही हे चार महीने से कम मुद्दत के हमल गिरानें मे इखतिलाफ हे अकसर मुफतीयाने किरामनें ये फरमाया के बगैर सख्त मजबूरी के ये भी जाइज़ नही हे. (अहसनुल फतावा 5/433)

30. जवान औरत की तलाक हो गयी और उस्को शुरू ही से मासिक बिलकुल न आता हो या लंबी मुद्दत के बाद आता हो तो इद्दत का तरीका पहली वाली औरत के लिये अगर वो 30 साल की हो गयी हो और दूसरी वाली औरत जिसको मासिक आया और फिर बंद हो गया और उस्की उमर 50 साल की हो गयी हो और कम से कम 6 महीने से हैज़ बंद हो गया हो तो दौनो की इद्दत 3 महीने हे अगर इन्को इद्दत के दरमीयान हैज़ आ गया तो अब नये सिरे से तीन हैज़ की इद्दत गुजारनी होगी जवान औरत जिस्को इलाज के ज़रीये हैज़ आता हो वो इलाज के ज़रीये तीन हैज़ की इद्दत गुजारे अगर इलाज से भी हैज़ जारी न हो तो मालिकी मस्लक पर चलने वाले काज़ी से एक साल की इद्दत का फेसला करवाया जाये अगर कोई मालिकी काज़ी न हो और सख्त जरूरत हो तो एक साल की इद्दत का फतवा दिया गया हे. (अहसनुल फतावा 5/435)

31. तीन तलाक वाली औरत इद्दत मे हो और उस्के शौहर ने उस्के साथ हम बिस्तरी करली तो औरत

पर नये सिरे से इद्दत नही हे अल बत्ता उनका ये अमल ज़िना का हूवा. (अहसनुल फतावा 5/438)

32. मीयां बीवी दौनों एक जगाह तन्हाइ मे जमा हूवे और शौहर के नामर्द होने की वजह से हमबिस्तरी नही हुयी और शौहर ने तलाक दे दी तो बीवी पर इद्दत वाजिब हे. (अहसनुल फतावा 5/439)

33. शौहर की शकल बदल गयी इन्सानी शकल के अलावा और कोई शकल बदल गयी तो निकाह टुट गया उस्की बीवी तलाक वाली इद्दत गुज़ारेगी. (अहसनुल फतावा 5/450)

34. खर्चे का मकसद बुनीयादी जरूरतों का पुरा करना हे हर ज़माने के उर्फ और रिवाज के लिहाज़ से मुख्तलिफ हो सकता हे इसी लिये अल्लाह ने खर्चे के साथ बिलमारूफ कहा हे यानी जो रिवाज हो उस्के मुताबिक.

इद्दत ए वफात के मसाइल

1 से 15 तक के मसाइल के लिए देखिए इद्दत के मसाइल.

16. अगर औरत अपने खानदान वालो की मुलाकात के लिये गयी या किसी दूसरे के घर गयी और शौहर की वफात की खबर मिली तो उसी वकत फौरन अपने रहने के मकान को चली जाये. (फतावा महमूदीय्यह 13/397)

17. जिसके शौहर का इन्तेकाल हो जाये और वो हमल से न हो उसपर चार महीने दस दिन की इद्दत हे इस्को वफात की इद्दत कहते हे. (सूरे बकरा 234)

18. जब औरत इद्दत की हालत मे हो तो सराहतन उस्को निकाह का पैगाम देना या निकाह के सिलसिले मे कोलो करार कर लेना जाइज़ नही हे अलबत्ता उस्का इशारह या किनाया किया जा सकता हे जैसे उस औरत मे जो अवसाफ हे उन्का जीकर करते हूवे कहे के मे इन अवसाफ की हामिल खातून से निकाह करना चाहता हूं इसी तरह जुबान से तो इज़हार न करे लैकीन दिल मे हो के फला खातून से निकाह करना हे इस्मे कोई हरज नही हे. (सूरे बकरा 235)

19. जिस घर मे मय्यत हो जाये उन्के यहां तीसरे दिन तक एक बार गम हल्का कराने के लिये जाना मुस्तहब हे मय्यत के घर जाकर मय्यत के ताल्लुक वालो को तसल्ली देना और सबर के फ़ज़ाइल और उस्के अजरो सवाब सुना कर उन्को सबर की तलकीन करना और मय्यत के लिये दुवाए मगफिरत करना जाइज़ हे बल्के बडा नैक काम हे इस्को ताज़ीयत कहते हे तीन दिन के बाद ताज़ीयत करना मकरूहे तन्ज़ीही हे अगर ताज़ीयत करने वाला सफर मे हो या मय्यत के ताल्लुक वाले सफर मे हो अगर वो तीन दिन के बाद आये तो तीन दिन बाद भी ताज़ीयत के लिये जाना मकरूह नही. (अहकामे मय्यत 85)

20. बेवा औरत के इद्दत का खर्चा और रहने का मकान सूसराल वालो के ज़िम्मे नही हे और शौहर ने जो माल छोडा हे उसमे से भी लेने का हक नही हे हां शरीअतने जो वारसा मुकर्र किया हे वो मिलेगा. (अहकामे मय्यत 6/224)

21. अगर बेवा के पेट मे दो बच्चे हो अगर एक पैदा हो गया और दूसरा बाकी हे तो जब तक दूसरा बच्चा पैदा न हो जाये तब तक इद्दत खत्म न होगी. (अहकामे मय्यत 6/225)

22. जब बेवा की इद्दत खत्म हो जाती हे तो बाज औरते इद्दत से निकालने के लिये घर पर जमा होती हे ताके बेवा औरत को इद्दत वाले घर से निकाल कर दूसरे घर ले जाये और औरते उस्का बडा एहतेमाम करती हे ये भी गलत हे इद्दत का वकत पूरा होते ही औरत खूद-ब-खूद इद्दत से निकल जाती हे चाहे उसी घर मे रहे. (अहकामे मय्यत 6/228)

23. जिस बेवा के पास सभी कपडे ऐसे हो के जिस्से जीनत मालूम होती हो सीधे सादे कपडे बिल्कुल न हो इद्दत मे पेहनने के लिये तो उस बेवा को चाहिये के सीधे सादे कही से भी लेकर पहने अगरचे इस मकसद के लिये अपने अच्छे कपडे बेचना ही कयूं न पडे जब तक सीधे सादे कपडे हासिल न हो उस वकत तक जीनत वाले कपडे पहेन्ती रहे मगर

जीनत की नीय्यत न करे. (अहकामे मय्यत 6/231)

24. अगर बेवा को कोई तकलीफ हो तो इलाज के तौर पर रेशम का कपडा पहेननी की गुंजाइश हे फिर भी इद्दत के दरमीयान जीनत के इरादो से न पहने. (अहकामे मय्यत 6/234)

25. अगर बेवा इद्दत मे अपनी तरफ से कुछ दिन और बडा दे तो ये गलत हे इद्दत का हिसाब खूब याद रखना चाहिये. (अहकामे मय्यत 6/241)

26. अगर बेवा की अपनी सास के साथ न बनती हो और साथ रहना मुश्कील हो तो सिर्फ इस वजह से शौहर का घर छोड कर दूसरे घर मे इद्दत गुज़ारना जाइज़ नही हे. (अहकामे मय्यत 6/241)

27. बेवा अगर खुदा नाखास्ता पागल हो जाये और उसी पागलपने मे वो बाहर निकल आये तो वो गुनेहगार नही होगी मगर घर वालो का फर्ज़ हे के वो उस्की देख भाल करे वरना गुनेहगार होगे. (फतावा रहीमीय्यह 8/412)

28. बेवा इद्दत मे हे और अपने बेटे का निकाह करना चाहती हे तो शादी मे खूशी के कामो मे खूद हिस्सा न ले इद्दत के ज़माना मे जो सादा लिबास पहेन रखा हे वही लिबास पहने रहे उम्दा नया लिबास न पहने मेहंदी वगैरे लगा कर ज़ेबो जीनत न करे घर से बाहर न निकले ताके सोग बाकी रहे जब तक इद्दत की मुद्दत हे सोग ज़रूरी हे. (फतावा रहीमीय्यह 8/428)

29. बेवा अपने शौहर को मार डालने वाले की पहचान कराने के लिये कोर्ट मे या पोलीस चौकी जा सकती हे मगर रात को अपने मकान पर पहुंच जाये. (फतावा महमूदीय्यह 13/401)

30. अगर बेवा के मां बाप मेसे किसी एक का इन्तेकाल हो जाये अगर न जायेगी तो ज़िन्दगी भर गमो परेशानी रहेगी और खानदान वालो की तरफ से तानो तशनी का भी पूरा डर हे तो इन दौनो सूरतों मे ज़रूरत और हाजत के वकत निकलने की गुंजाइश हे. (फ.दा ज़करीय्यह 4/324)

31. बेवा के लिये इद्दत के दरमीयान शौहर की कबर

पर जाने की भी इजाज़त नही हे. (खैरूल फतावा 5/289)

32. जिस्के शौहर का इन्तेकाल हो गया हो और वो हमल से हो और इद्दत के दरमीयान उस्के पेट मे बच्चा सुख गया हो और बेवा ने दवा या आपरेशन के ज़रीया अपनी बच्चा दानी साफ करवायी अगर हमल चार महीने या ज़्यादा मुद्दत का था तो इद्दत पूरी हो जायेगी बच्चे के निकलते ही. (अहसनुल फतावा 5/429)

33. अगर बेवा इद्दत के दरमीयान निकाह कर ले तो ये निकाह फासिद हे शरीयत के एतेबार से ये निकाह सही नही हे इद्दत गुज़र जाने के बाद नये सिरे से निकाह करना पडेगा. (किताबुल फतावा 5/140)

34. बेवा औरत इद्दत के दरमीयान घरेलुं काम के लिये या रिश्तेदारों मे कोई बीमार हो तो उस्की बीमार पूरसी के लिये भी नही जा सकती हराम हे, इद्दत मे हज्ज के लिये भी जाना जाइज़ नही हे तो बाज़ार जाना केसे जाइज़ हो सकता हे.

इस्के अलावा अगर कोई और मसला हो तो आपके करीबी मुफतीयाने किराम से पुछ कर अमल करे. फकत अल्लाह ही ज़्यादा जान ने वाला हे.